अतः पत्रा[illegible] को अग्रिम कार्य[illegible]
दिनांक 13/4/21 को [illegible] हो।

02/02/2021

प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने परिवेदनशील
पक्षकार द्वारा अपील अस्वीकार किये जाने
पर सम्बन्ध की गई। वकील द्वारा तर्क किया
पर सम्बन्ध लम्बित वापस लिये जाने का आग्रह
नहीं करना चाहते तथा डिक्री पर मौखिक आगे नहीं
समाप्त करवाना चाहते हैं। वकील द्वारा चाहते
एवं पक्षों का बिंदु स्वीकार कर पत्र निरस्तारण
कार्यालय प्रतिवेदक का डिक्री पर Not press दायर किया जाता है।
पत्रावली [illegible] होकर नस्ल की जाने
के लिये आदेश दिया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Singh
Date: 2021.04.09 10:47:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]

Scanned with CamScanner